



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-257986
CG-DL-E-17102024-257986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4149]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2024/आश्विन 23, 1946

No. 4149]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ASVINA 23, 1946

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4513(अ).— केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संख्यांक का.आ. 1591(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

अधिसूचना में, क्रम संख्याक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

- “1. डॉ० अंजु राठी राणा, -- पीठासीन अधिकारी”।
अपर सचिव,
विधि कार्य विभाग,
कमरा सं० 408(ए), चौथा तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संख्यांक का.आ. 1591(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं0 642(अ), तारीख 17 सितंबर, 2021, का.आ. 1261(अ), तारीख 17 मार्च, 2023 और का.आ. 4999(अ), तारीख 14 नवंबर, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2024

S.O. 4513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number S.O. 1591(E), dated the 12th April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

- “1. Dr. Anju Rathi Rana, - Presiding officer;”
Additional Secretary,
Department of Legal Affairs,
Room No. 408(A), 4th Floor,
Shastri Bhawan, New Delhi

2. This notification shall come into force the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

Inder Deep Singh Dhariwal, Jt. Secy.